

पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाजीपुरम्, लखनऊ (उ०प्र०)

संक्षिप्त परिचय

महिलाओं को उच्च शिक्षा सुलभ कराने के उडददेश्य से स्थापित यह महाविद्यालय प्रदेश की राजधानी का प्रथम महिला राजकीय महाविद्यालय है। इसकी स्थापना का श्रेय तत्कालीन सांसद माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी को है जिन्होने इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु सांसद निधी से 25 लाख प्रदान करते हुये 13 अप्रैल 1997 को इसकी आधारशिला रखी। उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा निर्मित महाविद्यालय भवन में कला, वाणिज्य व विज्ञान संकाय के भवन सम्मिलित हैं कला संकाय में स्नातक स्तर पर वर्ष 1997–98 से प्रथम शिक्षण सत्र एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर प्रथम शिक्षण सत्र 2003–2004 में प्रारम्भ हुआ। बी०.एस.सी. प्रथम वर्ष में शिक्षण कार्य 2006–2007 से प्रारम्भ हुआ। सम्प्रति महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर लगभग 2000 छात्राये अध्ययनरत हैं। अंग्रेजी, इतिहास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ किये जाने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है इनमें से गृहविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षायें 2009–10 तथा इतिहास एवं अर्थशास्त्र विषयों में सत्र 2011–12 से प्रारम्भ की जा चुकी है अंग्रेजी विषय में एम०ए० कक्षाओं हेतु सम्बद्धता प्राप्त करने के प्रयास जारी है। महाविद्यालय में जुलाई 2007 से उ०प्र० राजर्षि टन्डन मुक्त विश्वविद्यलय, इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र स्थापित हुआ जिसके अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDMC), स्नातकोत्तर कला, समाजशास्त्र, हिन्दी अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, एम० काम०, बी०ए० स्नातक कला, एकल विषय, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण में डिप्लोमा (DHEN) पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक (BLIS) आहार एवं पोषण में डिप्लोमा (DRD) एवं फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा (DFD) पाठ्यक्रम संचालित हैं।

Vision

Pt. Deen Dayal Upadhyay Govt. Girls Post Graduate College Rajajipuram, Lucknow strives through sustained efforts to provide need based and skill oriented quality higher education to women of all section of society for their overall personality development and inculcating moral values among them.

Mission

- To achieve excellence in teaching, learning and research,
- To provide a high quality, accessible, enriching education that prepares students for successful careers, post graduate education and lifelong learning in a multicultural, global and technological society ,
- Fostering and encouraging innovation and creativity,

- Communicate effectively in speech and writing,
- Think logically, analytically and creatively,
- Demonstrate mastery of an academic discipline,
- Integrate moral values into their lives and create an atmosphere of mutual respect,
- Engage in the lifelong search for truth, beauty and justice,
- Create interest among the students for ecology and environment, and
- Share talent and gifts in the spirit of friendship and compassion.
- Create awareness among the students for ecology and environment.

The distinctive characteristics of the college which reflect mission statement are summed up here as under:-

- The college has been striving for bringing qualitative improvement in higher education since its inception
- The college provides access of needy women particularly those belonging to downtrodden and unprivileged class of society to higher education by way of full free ship.
- The traditional value of the college namely devotion to teaching and learning, punctuality, discipline and a sense of mutual respect are practiced to inculcate mission to the students and society at large.
- The college conducts programs and camps to promote feeling of friendship and compassion among the students and their direct involvement with the society.
- The college is committed to instill a sense of confidence in the students during their three years stay in the college by putting them to various tests and practices which make them skilled in speech and writing.

Objectives

- Women empowerment through quality education;
- To inculcate a sense of devotion, perseverance and discipline among the students;
- To equip the students with intellectual competence;
- To prepare the students for their participation in socio- political-cultural development of the society with a democratic spirit.
- To instill in the students the quality of leadership.
- To make the students responsive to the needs of the society.
- To prepare the students for innovation and creative qualities.
- To strengthen the teacher- taught goal oriented relationship.
- To interact and cooperate with other governmental and non- governmental organizations of skill and proficiency for advancement in teaching and learning.
- To develop skill of analysis and research to make the academic programs relevant useful to the changing and globalizing times.

उपलब्ध पाठ्यक्रम

लखनऊ विश्वविद्यालय

स्नातक

कला संकाय (Group)

कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक उपाधि हेतु छात्राओं को निम्नलिखित में से निर्धारित प्रतिबन्धों के साथ तीन विषयों को चुनने का विकल्प होगा।

- | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 1. अंग्रेजी | 4. अर्थशास्त्र | 7. इतिहास | 10. मानव विज्ञान |
| 2. हिन्दी | 5. राजनीतिशास्त्र | 8. समाजशास्त्र | 11. शारीरिक शिक्षा |
| 3. संस्कृत | 6. मनोविज्ञान | 9. गृहविज्ञान | |

नोट : विषयों का चयन महाविद्यालय कठिपय प्रतिबन्धों के अधीन करना होगा।

आधार पाठ्यक्रम :-

बी.ए. प्रथम वर्ष की प्रवेशार्थी छात्रा को उपरोक्त तीन विषयों के अतिरिक्त आधार पाठ्यक्रम राष्ट्रगौरव का चयन अनिवार्य रूप से करना होगा।

विषय चयन :-

1. बी.ए. प्रथम द्वितीय वर्ष में वही विषय होंगे जो बी.ए. प्रथम वर्ष में चुने जायेंगे।
2. बी.ए. तृतीय वर्ष में कोई दो विषय होंगे किन्तु ये दो विषय उन्हीं विषय में से होंगे जो छात्रा द्वारा प्रथम व द्वितीय वर्ष में गये हों।

विषय चयन प्रतिबन्ध :-

विषयों का चयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगा

1. हिन्दी तथा समाजशास्त्र में से कोई एक विषय।
2. अंग्रेजी तथा संस्कृत में से कोई एक विषय।
3. मानव शास्त्र तथा मनोविज्ञान में से कोई एक विषय।
4. केवल दो साहित्य तथा दो प्रयोगात्मक विषयों का चयन ही अनुमान्य होगा।

वाणिज्य संकाय

वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक उपाधि हेतु अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं।

विज्ञान संकाय

बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष:-

जीव विज्ञान वर्ग:- (1) जन्तु विज्ञान (zoology) (2) वनस्पति विज्ञान (Botany) (3) रसायन विज्ञान (Chemistry)

गणित :-

(1) भौतिक विज्ञान (Physics) (2) रसायन विज्ञान (Chemistry) (4) गणित (Mathematics)

परास्नातक

- (1) गृह विज्ञान (2) समाजशास्त्र (3) अर्थशास्त्र (4) मध्य युगीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास

प्रवेश प्रक्रिया

महाविद्यालय का शैक्षणिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ होगा । प्रवेश की इच्छुक छात्राये आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व दिये गये निर्देशों का भली भांती अध्ययन कर लें । महाविद्यालय में प्रवेश पूर्णतः छात्राओं की अर्जित योग्यता के वरीयता कम, उ0प्र0 शासन एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नियमों के अनुरूप दिया जायेगा ।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के प्रवेश की प्रथम अनारक्षित सूची में सभी वर्ग के मेरिट सूची के अन्यार्थी सम्मिलित होंगे ।

प्रवेश हेतु उ0प्र0 शासन / लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों / नियमावलियों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु कमशः 21.2 तथा 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे । आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जनजाति / जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी – तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति (**live Validity**) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी । विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्रह सेनानी वर्ग की छात्राओं को नियमानुसार 2 प्रतिशत (Horizontal) आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा । N.C.C अथवा प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में नियमानुसार भारिता (Weightage) का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

प्रवेश आवेदन पत्र के हार्डकापी के साथ वांछित प्रमाण पत्र

बी.ए./बी.काम/बी.एस–सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र (हार्डकापी) के साथ निम्नलिखित प्रमाण –पत्र संलग्न करने होंगे:-

1. हाइ स्कूल / समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति ।
2. 10+2 / इन्टर्सीडिएट परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र की सत्यापित छायाप्रति ।
3. अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण— पत्र मूल रूप में एवं टी0सी0 / प्रवजन प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
4. पूर्व परिक्षा में व्यक्तिगत (प्रझेट) रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को केन्द्र प्रमाण –पत्र की मूल प्रति एवं किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा संस्थागत छात्रा के रूप में जिस कक्षा तक अध्ययन किया गया हो की टीसी एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति ।
5. ऐसे अन्यार्थी जिनका पूर्व वर्षों के अध्ययन में व्यवधान रहा हो, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं नोटरी के माध्यम से इस आशय का शपथ पत्र (हलफनामा) भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने विगत वर्षों में कहीं भी संस्थागत छात्रा के रूप में अध्ययन नहीं किया है ।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / स्वतंत्रता संग्रह सेनानी / अपंग सुरक्षाकर्मी / विकलांग छात्रा / एन.सी.सी. / प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने से सम्बन्धित प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु बी.ए. परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपि ।

8. प्रवेश आवेदन पत्र अभिवावक / संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये अन्यथा अभ्यार्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा ।
9. प्रमाणित पते की सत्य प्रतिलिपि (मतदाता पहचान पत्र /राशनकार्ड/डिविंग लाइसेंस/टेलीफोन बिल/बिजली का बिल आधार संख्या इत्यादि ।)

महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

किसी भी प्रवेशार्थी (जो प्रवेश संबन्धी न्यूनतम अर्हता रखता है) को निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत प्रवेश अनुमान्य होगा:-

1. बी.ए. /बी.काम प्रथम वर्ष में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश आवेदन हेतु इन्टरमिडिएट /समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत होना अनिवार्य है ।
2. बी.एस. सी. प्रथम वर्ष में सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश आवेदन हेतु इन्टरमिडिएट / समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत होना अनिवार्य है ।
3. प्रवेशार्थी को प्राचार्य द्वारा गठित प्रवेश समिति की संस्तुति पर प्रवेश दिया जायेगा । प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर ही संस्तुत किया जायेगा ।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति की छात्राओं के प्रवेश के लिये इन्टरमिडिएट परीक्षा में न्यूनतम अंक 36 प्रतिशत होना अपेक्षित है ।
5. निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. प्रवेश समिति द्वारा योग्यता सूचिया नियमित अन्तराल पर महाविद्यालय सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी जिनमें प्रवेशार्थी हेतु साक्षात्कार की व प्रवेश सम्बन्धी अन्य सूचनाये भी अंकित होंगी ।
7. ऐसे प्रवेशार्थी जिन्हे इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये एक वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है उन्हें प्रवेश हेतु अन्य शर्तें सामान्य होने की दशा में उनके कुल प्राप्तांक में से 5 अंक प्रतिवर्ष कटौती करते हुये योग्यता सूची में स्थान दिया जायेगा । किन्तु तीन वर्ष से अधिक अन्तराल वाले प्रवेशार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
8. छात्रा को प्रवेश हेतु साक्षात्कार समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है । साक्षात्कार के समय अभ्यार्थी को अपने साथ समस्त मूल प्रमाण—पत्र/अंक पत्रों एवं अन्य प्रलेखों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है । इनके प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में प्रवेश संतुत नहीं किया जायेगा ।
9. वाणिज्य विषय में प्रवेश हेतु वाणिज्य विषय से इन्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या इन्टरमिडिएट में गणित अथवा अर्थशास्त्र विषय पर ही बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा ।
10. यदि कोइ छात्रा प्रवेश हेतु साक्षात्कार के दिन अनुपस्थित रहती है अथवा प्रवेश संबन्धी औपचारिकताये निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं कर पाती है तो उस दशा में उसकी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसके स्थान पर योग्यता क्रम (Merit) में आने वाली अगली छात्रा के प्रवेश पर विचार कर लिया जायेगा ।
11. बी.ए. /बी.काम/बी.एस. सी. प्रथम वर्ष की छात्राओं को प्रवेश संतुति हो जाने की दशा में तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेशाधिकार निरस्त माना जायेगा ।
12. लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र सामान्यतया अगस्त /सितम्बर माह में भरे जाते हैं परीक्षा फार्म का भरा जाना छात्रा का व्यक्तिगत दायित्व होगा । परीक्षा आवेदन पत्र की निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय के सहमति प्राप्त होने के बाद ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित किये जा सकेंगे ।
13. विश्वविद्यालय परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त करने से पूर्व छात्रा को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश संबन्धी नियम:-

किसी भी प्रवेशार्थी (जो प्रवेश संबन्धी न्यूनतम अहर्ता रखता है) को निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत प्रवेश अनुमत्य होगा:-

1. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अभ्यार्थी का स्नातक कक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है परन्तु अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये 40 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
2. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश स्नातक कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता कम में प्रदान किया जायेगा ।
3. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की 80 प्रतिशत सीटे उन अभ्यार्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिन्होने स्नातक परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है शेष 20 प्रतिशत सीटे समिलित अभ्यार्थियों से स्नातक कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्यता कम में भरी जायेंगी ।
4. दो या दो से अधिक अभ्यार्थियों के स्नातक परीक्षा में समान प्राप्ताक होने की दशा में स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में चयनित बिषय (एम.ए. प्रथम वर्ष) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता कम निर्धारित किया जायेगा ।
5. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु बिषय का चयन बी.ए. तृतीय वर्ष में चयनित बिषयों में ही किया जा सकेगा । परन्तु स्नातक परीक्षा में 55 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक होने की दशा में यह प्रतिबन्ध शिथिलनीय है लेकिन ऐसे अभ्यार्थियों का प्रवेश कुल सीटों के 10प्रतिशत की सीमा तक ही किया जा सकेगा ।
6. कोई भी अभ्यार्थी एक साथ दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर यथ्ययन नहीं कर सकेगा ।
7. यदि किसी अभ्यार्थी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो उसे अन्य किसी बिषय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश प्रदान नहीं किया जायेगा ।
8. यदि कोई अभ्यार्थी स्नातकोत्तर कक्षा में एक से अधिक बिषयों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक बिषय के लिए पृथक से आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा ।
10. जिन अभ्यार्थियों का स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक का व्यवधान / अन्तराल हो, वे एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे । एक वर्ष का अन्तराल होने पर प्राप्तांक में से 5 अंक कम कर दिये जायेंगे ।
11. प्रवेश निरस्त का अधिकार महाविद्यालय की प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा ।
12. प्रवेश संस्तुत हो जाने की दशा में तत्काल निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेशाधिकार निरस्त माना जायेगा ।
13. लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था के अन्तर्गत कराई जाती है प्रत्येक सेमेस्टर के लिये पृथक से परीक्षा आवेदन पत्र व प्रवेश आवेदन पत्र भरने होंगे ।
14. विश्वविद्यालय परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त करने से पूर्व छात्रा को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

15. ऐसे प्रवेशार्थी को प्रवेश देना संभव नहीं होगा:-

1. जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुउत्तीर्ण हो चुकी हो ।

2. जो अनुसूचित साधन के प्रयोग की दोषी पाई गई हो ।
3. जो गत वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दी गई हो ।
4. जो किसी अपराधिक मामले में सजा पा चुकी हो अथवा जिस पर कोई अभियोग चल रहा हो या जिसका आचरण संदिग्ध हो ।
5. जिसने इन्टरमीडिएट की परीक्षा दो से अधिक प्रयासों में उत्तीर्ण की हो ।
6. जिन्हे इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किये हुये तीन वर्ष से अधिक का समय हो गया हो ।
7. अनियमित रूप से प्रवेश प्राप्त कर लेने पर अथवा प्रवेश सम्बन्धी कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।
8. किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने का अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित होगा ।
9. कक्षाये आरम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रा को विषय की शुल्क रसीद / बैंक जमा पर्ची दिखाकर विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है । ऐसा न करने पर उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

16. छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवश्यक निर्देश :—

1. छात्रवृत्ति समय समय पर प्रसारित शासनादेशों में विहित नियमों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है
2. छात्रवृत्ति आवेदन प्रपत्र किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर पासबुक की छायाप्रति एवं आय प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
3. भरे हुए आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथी तक कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं
4. आय प्रमाणपत्र का सत्यापन बेबसाइट nic.com पर उपलब्ध विवरण से किया जायेगा । प्रमाण—पत्र गलत पाये जाने पर छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके उपर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां

17. स्नातक (सभी संकाय) प्रथम वर्ष हेतु:—

1. प्रवेश आवेदन पत्र आनलाइन भरने की तिथी 10.6.2017 से 05.7.2017
2. आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्र हार्डकापी जमा करने की अन्तिम तिथी—

पूर्ण रूप से भरे हुए आनलाइन प्रवेश आवेदन फार्म हार्डकापी दिनांक 10 जून से 10 जुलाइ 2017 तक पूर्वान्ह 11:00 बजे से 2:30 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे ।

नोट:— उ0प्र0 शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार उपरोक्त तिथिया परिवर्तनीय हैं ।

18. प्रवेश, परीक्षा एवं महाविद्यालय की अन्य गतिविधियों से सम्बंधित समस्त सूचनाये नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेंगे । इन सूचनाओं से अवगत होना स्वयं छात्रा का दायित्व होगा ।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (सभी संकाय) हेतु:-

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिन के भीतर आनलाइन प्रवेश अवश्य प्राप्त कर ले। तथा हार्डकापी सभी संलग्नो सहित 10 दिन के अन्दर कार्यालय तें जमा करना होगा उक्त छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षाफल की सत्यापित अंक तालिका की प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

19. प्रवेशित छात्रा को शुल्क जमा करने के पश्चात चयनित विषयों के विभाग प्रभारी को शुल्क रसीद दिखाकर अपना नाम विभाग में अंकित करायेगी एवं पंजीकरण कार्ड पर बिषय प्रभारी के हस्ताक्षर करायेगी। पंजीकरण कार्ड को दिखाकर वह पुस्तकालय कार्ड तथा मुख्य शास्त्र से परिचय पत्र प्राप्त कर सकेगी।

शुल्क

उ0प्र0 शासन / लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। शासन / विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि किये जाने की स्थिति में छात्रा को बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। शुल्क के सम्बन्ध में समस्त सूचनाये सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी एक बार शुल्क जमा हो जाने के बाद न तो वापिस किया जायेगा और न ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। निर्धारित तिथी तक कार्यालय में पूरा शुल्क जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

शिक्षणेत्तर गतिविधिया एवं छात्रा कल्याण योजनायें

छात्रा ,अभिवावक ,शिक्षक बैठक :- प्रवेशित छात्राओं हेतु प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से छात्रा अभिवावक बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें प्रत्येक छात्रा का अभिवावक के साथ भाग लेना होगा।

महाविद्यालय में छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु निम्नलिखित गतिविधिया एवं सुविधाये उपलब्ध हैं:-

राष्ट्रीय सेवा योजना:- महाविष्लय में 100–100 स्वयंसेवी छात्राओं की दो इकाइया राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारियों के निर्देशन में संचालित है। जिसमें चयन छात्रा की योग्यता पर आधारित होगा नियत दैनिक कार्य दिवसों के अतिरिक्त एक सात दिवसीय विशेष शिविर भी आयोजित किया जाता है।

कीड़ा:-—महाविद्यालय में काढ़ा की उत्तम व्यवस्था है। महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में वार्षिक कीड़ा प्रतियोगिताये आयोजित की जाती है जिसमें छात्राये अपनी अभिरूचि एवं प्रतिभा के अनुसार प्रतिभाग करती है। कीड़ा सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन हेतु प्राचार्य द्वारा कीड़ा समिति का गठन किया जाता है किसी भी छात्रा को कीड़ा सामग्री घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

रंजर्स योजना:-—महाविद्यालय की छात्राओं की रंजर्स सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये रंजर्स इकाई की स्थापना की जाती है। चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

विभागीय परिषद:-—महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षिक विषय की एक विभागीय परिषद विषय प्रभारी की अध्यक्षता में गठित की जाती है जिसमें छात्राओं की प्रतिभागिता होती है प्रत्येक परिषद शैक्षणिक सत्र में छात्राओं के बौद्धिक शैक्षणिक विकास हेतु निबन्ध वाद-विवाद वस्तुनिष्ठ परीक्षण विवज चार्ट, पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था है।

महाविद्यालय पत्रिका:- छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय द्वारा उो वर्ष में संयुक्तांक अभिव्यक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। छात्राये इस पत्रिका के लिये स्वरचित लेख, कहानी कविता सूक्तिया , नाटक आदि पत्रिका के प्रधान सम्पादक /प्रभारी प्राध्यापक को दे सकेगी। सम्पादक मण्डल

केवल उन्हीं लेखों कविताओं अथवा रचनाओं आदि को पत्रिका में प्रकाशनार्थ समिलित करेंगे जो प्रकाशन योग्य पायी जायेंगी ।

छात्रवृत्तियां:— अनुसूचित जाति /जनजाति/पिछड़े वर्ग, निर्धन सामान्य वर्ग , अल्पसंख्यक वर्ग ,विकलांग छात्राओं के लिये समाज कल्याण राज्य एवं केन्द्र सरकार की ओर से तथा दूसरे स्रोतों से विभिन्न छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है जिनकी सूचना छात्राओं को समय—समय पर सूचना पट्ट के माध्यम से प्राप्त होंगी । पिता /अभिवावक के सरकारी नौकरी में होने की दशा में सेवायोजक द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । जो प्रवेश के समय ही प्रस्तुत करना होगा ।

नोट:— ऐसी छात्राये जिनके समस्त स्रोतों से वार्षिक आय शासन के नियमानुसार ही होनी चाहिये ।

पुस्तकालय एवं वाचनालय:—महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है । पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है जहा सिर्फ एक विलक से पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों पत्रिकाओं एवं जर्नल्स की जानकारी प्राप्त की जा सकती है परास्नातक छात्राओं के लिए विभागीय पुस्तकालय की स्थापना की गयी है ।

प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालय एवं वाचनालय के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा ।

1. प्रत्येक छात्रा को एक समय में अधिकतम दो पुस्तकें मिलेंगी पुस्तके 15 दिन के लिये निर्गत की जायेगी । पुस्तकालय से पुस्तके प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय कार्ड प्रस्तुत करना होगा ।
2. निर्धारित समय पर पुस्तके वापस न करने पर 50 पैसे प्रति दिन की दर से दण्ड देना होगा ।
3. छात्राओं को पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनों और समय पर ही पुस्तके निर्गत की जायेगी ।
4. पुस्तके फटने या खराब होने का उत्तरदायित्व छात्रा पर होगा ।
5. छात्रा द्वारा पुस्तकालय से प्राप्त की गई पुस्तकों को विश्वविद्यालय परीक्षा के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा । इसके बाद ही छात्रा की परीक्षा प्रवेश पत्र दिया जायेगा । परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर छात्रा को पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेगी ।
6. प्रत्येक छात्रा का यह दायित्व होगा कि वह वाचनालय में पूर्ण शान्ति बनाये रखे ।
7. सामाचार पत्र और पत्रिकाओं को केवल वाचनालय में पढ़ने के लिये प्रदान किया जायेगा । उन्हे घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी । छात्राये खाली वादनों में इनका उपयोग कर सकती है ।
8. वाचनालय में सामाचार पत्र और पत्रिकाये परिचय पत्र दिखाकर प्राप्त की जा सकेंगी ।
9. समाचार पत्र /पत्रिका जमा करने पर परिचय पत्र वापस कर दिया जायेगा ।
10. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष की अवधि तक ही छात्राये पुस्तकालय काशनमनी वापस प्राप्त का सकेंगी । इस अवधि के पश्चात पुस्तकालय काशनमनी उन्हे वापस नहीं की जायेगी ।

अनुशासन व उपस्थिति

अनुशासन समिति (प्रॉक्टोरियल बोर्ड) :— महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्राचार्य के संरक्षकत्व में अनुशासन समिति प्रॉक्टोरियल बोर्ड गठित है जो छात्राओं में अनुशासन एवं संस्था के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में उनका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग लेती है । महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को भंग करने की दोषी छात्राओं को दण्डित करने का पूर्ण अधिकार अनुशासन समिति को प्राप्त है । महाविद्यालय का प्रत्येक प्राध्यापक अनुशासन समिति का पदेन सदस्य है ।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

- प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनुशासवद्व रहकर अनुकूल अपनाये। अनुशासनहीनता बरतने पर छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें छात्रा का महाविद्यालय से निष्कासन भी सम्मिलित होगा ।
 - प्रत्येक छात्रा को प्रतिदिन महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र लाना होगा ।
 - पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कोई अन्य पाठ्य सामग्री महाविद्यालय में लाने की छूट नहीं होगी ।
 - ट्रांजिस्टर, फोटो कैमरा, मोबाइल फोन एवं टेप आदि महाविद्यालय में लाना वर्जित होगा ।
 - किसी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति महाविद्यालय परिसर में लाना छात्रा की अनुशासनहीनता मानी जायेगी।
 - प्रत्येक छात्रा खाली वादनों में इधर उधर न बैठकर कामन रूम अथवा वाचनालय में ही बैठेगी।
 - प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षा की जाती है कि विषय के वादन समाप्त होने के उपरान्त ही महाविद्यालय परिसर से बाहर जाय ।
 - पान, पान पराग, गुटका या नशीली, मादक वस्तुओं का सेवन महाविद्यालय परिसर में पूर्णतया निषिद्ध है।
 - महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया वर्जित है। रैगिंग कानूनी संज्ञेय अपराध है। रैगिंग की दोषी छात्रा के विरुद्ध सम्बन्धित थाना में प्राथमिक दर्ज किये जाने के साथ महाविद्यालय से निष्कासित भी किया जा सकता है ।
 - महाविद्यालय में छात्रा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित है। महाविद्यालय में शिकायत पेटिका उपलब्ध रहेगी तथा प्रत्येक माह के अन्तिम बुधवार को छात्राओं की शिकायत सुनी जायेगी।
- यूनिफार्मः—** छात्राओं में एकरूपता स्थापित करने के उददेश्य से महाविद्यालय द्वारा यूनिफार्म के रूप में आसमानी चेक का गोल गले का पूरी आस्तीन का कुर्ता सफेद दुपट्टा (सुती वायल), सफेद (चूड़ीदार वर्जित), काला स्वेटर (शीत काल), केनवास के काले जूते निर्धारित किया गया है। कक्षाये प्रारम्भ होने के प्रथम दिवस से ही छात्राओं को निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है अन्यथा उन्हे महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। शासन के आदेशानुसार यूनिफार्म के स्वरूप से परिवर्तित सम्भव है ।

उपस्थिति:- कक्षाओं में छात्रों की नियमित उपस्थिति आवश्यक है। सत्र के अन्त तक प्रत्येक छात्रा की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है इससे कम उपस्थिति होने पर छात्रा को परीक्षा में सामिल होने से रोका जा सकता है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति की दशा में केवल कुलपति महोदय की अनुमति से ही छात्रा परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगी ।

परिचय पत्रः— प्रत्येक छात्रा को अपने पास महाविद्यालय का परिचय रखना अनिवार्य है। छात्रा को परिचय पत्र शासन मण्डल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। महाविषलय की छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने परिचय पत्र के साथ शुल्क रसीद भी अवश्य रखे एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे यथा समय प्रस्तुत करें। यदि किसी छात्रा का परिचय पत्र खो जाता है अथवा खराब हो जाता है तो उस दशा में दूसरा परिचय पत्र चीफ प्राक्टर की अनुमति से एवं निर्धारित शुल्क (रु 20.00) जमा करने पर ही निर्गत किया जायेगा।

अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्रः— अस्थायी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अधिकारी केवल वह छात्रा है जिसने महाविद्यालय में न्यूनतम छः माह अध्ययन कर लिया है तत्संबंधी प्रमाण पत्र किसी प्रतियोगी परीक्षा सम्मिलित होने अथवा सेवायोजन नौकरी के निमित्त आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में प्रदान किया जायेगा।

प्रवेश आवेदन – पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र

बी.ए./बी. काम./बी. एस—सी प्रथम वर्ष में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को आनलाइन फार्म की हार्डकापी के साथ निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न करने होंगे—

- हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण—पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।
- 10+2/ इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित छायाप्रति ।

3. अंतिम शिक्षण संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र मूल रूप में एवं टी.सी./प्रवजन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति ।
4. पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत (प्राइवेट) रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को केन्द्र प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा संस्थागत छात्रा के रूप में जिस कक्षा तक अध्ययन किया गया हो की टी. सी. एवं चरित्र प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति ।
5. ऐसे अभ्यार्थी जिनका पूर्व वर्षों के अध्ययन में व्यवधान रहा हो को किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र तथा नोटरी के माध्यम से इन आशय का शपथ—पत्र (हलफनामा) भी प्रस्तुत करना होगा कि उससे विगत वर्षों में कही भी संस्थागत छात्रा के रूप में अध्ययन नहीं किया है ।
6. अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी /अपंग सुरक्षकर्मी / विकलांग छात्रा /एन.सी.सी./ प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने से सम्बन्धित प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. पासपोर्ट साइज के चार नवीनतम फोटो । (जिससे फोटो के पृष्ठ भाग पर छात्रा का नाम अंकित हो ।)
8. प्रवेश आवेदन पत्र अभिवावक /संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।
9. समस्त श्रोतों से अभिभावक की वार्षिक आय रु0 1,00,000 तक होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

महाविद्यालय की समितियाँ

1. शास्ता मण्डल
2. प्रवेश समिति
3. छात्रवृत्ति समिति
4. परीक्षा समिति
5. छात्रा कल्याण समिति
6. पुस्तकालय सलाहकार समिति
7. शोध विकास समिति
8. खेल कूद समिति
9. राष्ट्रीय सेवा योजना समिति
10. रेंजर्स सलाहकार समिति
11. रोजगार सलाहकार एवं निर्देशन समिति
12. शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
13. गुणवत्ता विकास समिति
14. पूर्व छात्रा समिति
15. पत्रिका सम्पादन मण्डल
16. क्रय समिति
17. महाविद्यालय निति— निर्धारण एवं विकास समिति
18. पर्यावरण सम्बर्धन समिति
19. साइकिल स्टैण्ड रखरखाव समिति
20. आयकर एवं शुल्क जांच समिति
21. विभिन्न प्रकार की सत्यापन समिति
22. क्रय समिति
23. रुसा संचालन एवं नैक समितियाँ

24. शुल्क मुक्ति / निर्धन सहायता समिति
25. जन सूचना अधिकारी
26. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति
27. आई.क्यू. ए.सी.समिति
28. आवश्यकतानुसार अन्य समितियाँ

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा

निर्दिष्ट सीटों का विवरण

बी०ए० प्रथम वर्ष	430
बी०काम० प्रथम वर्ष	100
बी०एस०सी० बायो प्रथम वर्ष	40
बी०एस०सी० गणित	40
एम०ए० प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान	40
एम०ए० प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र	60
एम०ए० प्रथम सेमेस्टर अर्थशास्त्र	60
एम०ए० प्रथम सेमेस्टर इतिहास	60
एम०ए० प्रथम सेमेस्टर अंग्रेजी	विचारधीन

शुल्क विवरण

स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु

वार्षिक शुल्क तालिका

राजकोष शुल्क

1. प्रवेश शुल्क	3.00
2. पुस्तकालय शुल्क	10.00
3. पंखा	5.00
4. विकास शुल्क	20.00
5. मंहगाई शुल्क	42.00
	<u>80.00</u>
6. प्रयोगशाला शुल्क	240.00(प्रतिविष्य)

छात्रनिधि

1. कीड़ा शुल्क	100.00
2. वाचनालय शुल्क	15.00
3. पत्रिका शुल्क	50.00
4. परिचय पत्र	20.00
5. निर्धन छात्र सहायता	10.00
6. परिषद शुल्क	15.00
7. वार्षिक समारोह	25.00
8. विधुत शुल्क	100.00

विश्वविद्यालय शुल्क

1. विभिन्न नामांकन शुल्क 760.00
2. विभिन्न परीक्षा शुल्क 2020.00

9. प्रयोगशाला काशनमनी	100.00
10. पुस्तकालय काशनमनी	100.00
11. पर्यावरण एवं परिसर विकास	50.00
12. साइकिल स्टैण्ड	60.00

शुल्क विवरण

स्नातक कक्षाओं हेतु

वार्षिक शुल्क तालिका

राजकोष शुल्क

1. प्रवेश शुल्क	3.00
2. पुस्तकालय शुल्क	3.00
3. पंखा	5.00
4. विकास शुल्क	20.00
5. मंहगाई शुल्क	42.00
	<hr/>
6. प्रयोगशाला शुल्क	240.00(प्रतिविषय)

राजकोष शुल्क

1. एक प्रायोगिक विषय के साथ	313.00
2. दो प्रायोगिक विषय के साथ	553.00
3. तीन प्रायोगिक विषय के साथ	793.00

छात्रनिधि

1. क्रीड़ा शुल्क	100.00
2. वाचनालय शुल्क	15.00
3. पत्रिका शुल्क	50.00
4. परिचय पत्र	20.00
5. निर्धन छात्र सहायता	10.00
6. परिषद शुल्क	15.00
7. वार्षिक समारोह	25.00
8. विद्युत शुल्क	100.00

विश्वविद्यालय शुल्क

9. प्रयोगशाला काशनमनी	50.00(प्रतिविषय)
10. पुस्कालय काशनमनी	50.00
11. पर्यावरण एवं परिसर विकास	50.00
12. साइकिल स्टैण्ड	60.00

1. विभिन्न नामांकन शुल्क	760.00
2. विभिन्न परीक्षा शुल्क	
A. बी. ए. प्रथम	1510.00
B. बी. काम. प्रथम	2510.00
C. बी.एस— सी. प्रथम	3010.00

आवश्यक

उत्तर प्रदेश शासन / लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क वृद्धि किये जाने की स्थिति में छात्रा को बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। शुल्क सम्बन्धी समस्त सूचनाएं सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी। एक बार शुल्क जमा हो जाने के पश्चात न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। निर्धारित तिथी तक बैंक में पूरा शुल्क जमा कराना होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

नोट:- बी.ए., बी.काम., बी.एस-सी. प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की छात्राये शुल्क फार्म में अंकित तिथि तक अपना निर्धारित शुल्क इन्डियन ओवरसीज बैंक, राजाजीपुरम् (निकट डाक) घर में अनिवार्य रूप से जमा कर दें अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्रा की होगी।

पं दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम् लखनऊ

शिक्षक वर्ग

क्रम	विषय	प्राध्यापक का नाम	पद
01		प्रो० एच० आर० नांगलिया	प्राचार्य
कला संकाय:-			
01.	अंग्रेजी विभाग	1.डॉ० रीता अग्निहोत्री 2.डॉ० साधना सिंह यादव	एसोशियेट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर
02.	हिन्दी विभाग	डॉ० रचना	एसिस्टेंट प्रोफेसर
03.	संस्कृत विभाग	डॉ० पूनम पाण्डेय	एसिस्टेंट प्रोफेसर
04.	अर्थशास्त्र विभाग	1.डॉ० अमितेन्द्र सिंह 2.श्रीमती निशी शुक्ला	एसिस्टेंट प्रोफेसर
05.	समाजशास्त्र विभाग	1.एस०पी० सिंह 2.डॉ० सुमन गुप्ता	एसोशियेट प्रोफेसर एसोशियेट प्रोफेसर
06.	इतिहास विभाग	1.डॉ० प्रियंका शर्मा 2.डॉ० प्रीति प्रभात	एसिस्टेंट प्रोफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसर
07	राजनीतिशास्त्र विभाग	डॉ० स्मिता जयसवाल(पाण्डेय)	एसोसियेट प्रोफेसर
08.	गृहविज्ञान विभाग	1.डॉ० रश्मि श्रीवास्तवा 2.डॉ० किरन सिंह	एसोसियेट प्रफेसर एसिस्टेंट प्रोफेसर
09.	मनोविज्ञान विभाग	डॉ० गीता मेहरा	एसोशियेट प्रोफेसर
10.	मानवविज्ञान विभाग	श्रीमती सुरेशबाला गोगना	एसोशियेट प्रोफेसर
11.	शारीरिक शिक्षा विभाग	डॉ० शीलधर दुबे	एसिस्टेंट प्रोफेसर
वाणिज्य संकाय:-			
		डॉ० पवन कुमार मौर्या	असिस्टेंट प्रोफेसर

विज्ञान संकायः—

01.	गणित विभाग	डॉ० मीनू सक्सेना	एसोशियेट प्रोफेसर
02.	प्राणि विज्ञान विभाग	डॉ० किरन लता वर्मा	एसिस्टेंट प्रोफेसर
03	रसायन विज्ञान विभाग	डॉ० पारुल मिश्रा	एसिस्टेंट प्रोफेसर
04	वनस्पति विज्ञान विभाग	डॉ० ऋचा पाण्डेय	एसिस्टेंट प्रोफेसर
05	भौतिक विज्ञान	डॉ० अखिलेश कुमार	एसोशियेट प्रोफेसर

पुस्तकालयः—

श्रीमती इन्दुबाला

पुस्तकालयाध्यक्ष / प्रवक्ता पुस्तकालयकाया

कार्यालयः—

1.	श्री भाष्कर दत्त पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक
2.	श्री छोटटन सिंह	कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री नवनीत कुमार	प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान
4.	श्री राजकिशोर	प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान
5.	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक प्राणि विज्ञान
6.	रिक्त	प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के नामः—

01. श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल
02. श्री रामलाल निगम
03. श्री कमल किशोर अवरथी
04. श्री मोहन चन्द्र
05. श्री विजय कुमार
06. श्री सरोज कुमार
07. श्री नौशाद
08. श्री अर्णुण कुमार मिश्रा
09. श्री मनोज कुमार यादव

चौकीदार

- परिचर (शासन से सम्बद्ध)
 परिचर (महाराजा बिजली पासी
 स्नातकोत्तर महाऽ विऽ लखनऊ से
 शासन द्वारा सम्बद्ध)
- परिचर
 परिचर
 परिचर
 परिचर
 परिचर
 परिचर
 परिचर